

मूल वाद में डिफ़्री  
(आदेश 20. नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी


धोखासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता  
राजस्व वाद संख्या :- /

1. भादरराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. टीकूराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

- - वादीगण

बनाम

1. पन्नाराम पुत्र फकीराराम अकवाम मेघवाल निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. केसराराम पुत्र फकीराराम अकवाम मेघवाल निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. श्रीचन्द पुत्र फकीराराम अकवाम मेघवाल निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. कलावती पुत्री फकीराराम पत्नी प्रताप जाति मेघवाल निवासी भुरटवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. राजबाला पुत्री फकीराराम पत्नी हंसराज जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सोनी पत्नी गौरीशंकर पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सन्तलाल पुत्र गौरीशंकर पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. परमजीत पुत्री गौरीशंकर पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. इन्द्राज पुत्र कमला पत्नी चन्दूराम जाति मेघवाल निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. शकुन्तला पुत्री चन्दूराम पत्नी रमेश कुमार जाति मेघवाल निवासी बुरु तहसील बुरु जिला चुरु।
11. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।



दावा अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 17.5.2024

- - प्रतिवादीगण



वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17/5/2024 को स्वाति गुप्ता जार एएस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक श्योदानपुरा बाराणी के खाता संख्या 62/61 में कुल 18844 हैक्टर में वादी संख्या 1 भादूरसाम का 1/18 हिस्सा, वादी संख्या 2 टीकूराम का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 प्रत्येक का 1/54 हिस्सा आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 7 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक श्योदानपुरा बाराणी के खाता संख्या 62/61 में से प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6, 8 ता 10 का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किराी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/5/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



XV  
(स्वाति गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		